दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स राजस्थान

सितंबर (संग्रह)

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

राजस्थान **5**

- अवनि लखेरा 5
- 'रेस्क्यू अभियान' 5
- 'मिलिये सरकार से': 5
- 'सस्टेन बाई कार्टिस्ट' एग्जीबिशन 6
- 'राजीव-2021 डिज़िटल क्विजथॉन' 6
- 'स्वच्छ पवन-नील गगन' कार्यशाला का आयोजन 7
- शिक्षा विभाग द्वारा अगस्त माह के लिये रैंकिंग जारी, चूरू ज़िला रहा प्रदेश में प्रथम 7
- श्रेष्ठ कार्यों के लिये हर तहसील से एक निरीक्षक व एक पटवारी को मिलेगा ज़िलास्तरीय सम्मान 8
- राजभवन में 'सर्वांगीण विकास की नई राह-प्रतिबद्धता के दो वर्ष' पुस्तक का हुआ लोकार्पण 8

नोट :

- सभी ज़िला न्यायालयों को वी.सी. रिमोट पॉइंट से जोड़ा गया 9
- राज्यपाल ने किया पर्यटन के डिजिटल अभियान के पोस्टर का लोकार्पण 9
- केकड़ी गौशाला के सिंहद्वार का लोकार्पण 9
- ईसरदा बांध परियोजना 10
- राजस्थान विधियाँ (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 10
- इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 11
- मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड 11
- वात्सल्य योजना 12
- राजस्थान विधानसभा में विभिन्न विधेयक पारित 12
- राजस्थान विधानसभा का षष्ठम् सत्र अनिश्चितकाल के लिये स्थगित 13
- 'राजस्थान ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन स्कीम' 14
- वाणिज्य उत्सव 14
- कृषि महाविद्यालय 15

नोट :

- राजस्थान सौर ऊर्जा में नंबर वन 16
- 5 विभागों की 7 योजनाएँ स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में सूचीबद्ध 16
- वाणिज्यिक कर विभाग का पुनर्गठन 17
- एमनेस्टी स्कीम 2021 17
- 'पीएम कुसुम कंपोनेंट-ए' योजना 18
- भूमि संरक्षण के लिये प्रो. श्यामसुंदर ज्याणी संयुक्त राष्ट्र के पुरस्कार से सम्मानित 19

दृष्टि The Vision

नोट :

राजस्थान

अवनि लखेरा

चर्चा में क्यों ?

- 31 अगस्त, 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में शूटिंग प्रतिस्पर्द्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनि लखेरा को राजस्थान सरकार द्वारा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना की ब्रांड अंबेसडर घोषित किया है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि अवनि लखेरा ने 30 अगस्त, 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के आर2 महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 स्पर्द्धा में गोल्ड मैडल जीता है।
- अवनि जयपुर की रहने वाली 19 वर्षीय पैरालंपियन हैं, जो भारत के लिये पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं।

'रेस्क्यू अभियान'

चर्चा में क्यों ?

- 31 अगस्त, 2021 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जयपुर शहर को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने के लिये रेस्क्यू अभियान चलाने की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- यह रेस्क्यू अभियान 7 सितंबर, 2021 से प्रारंभ किया जाएगा।
- यह अभियान राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य जयपुर शहर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना व भिखारियों का पुनर्वास करना है।
- इसके तहत शहर के चार निर्धारित सेंटरों पर भिखारियों को ले जाकर उनके रहने, खाने एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी।
- कार्य करने योग्य भिखारियों को कौशल प्रदान करके आजीविका हेतु नौकरी प्रदान की जाएगी।
- भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को बालिका गृह एवं बाल गृह भेजा जाएगा और 60 वर्ष से अधिक आयु के भिक्षुओं को ओल्ड एज होम भेजा जाएगा।

'मिलिये सरकार से':

चर्चा में क्यों ?

- 5 सितंबर, 2021 को राजस्थान फाउंडेशन ने 'मिलिये सरकार से' नामक एक अनूठी वर्चुअल श्रृंखला की शुरुआत की है, जिससे देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों में बसे प्रवासी राजस्थानी राज्य सरकार के मंत्रियों तथा अन्य प्रतिनिधियों से सीधे वार्तालाप कर पाएँगे।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ वार्तालाप की इस श्रृंखला की पहली कड़ी में राज्य के नगरीय विकास एवं आवासीय मंत्री शांति धारीवाल ने वेबीनार के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों को राज्य सरकार के विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

नोट :

- उन्होंने राज्य में चल रही अनेक जन-कल्याणकारी और विकास योजनाओं से प्रवासियों को अवगत कराते हुए कहा कि राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में 1200 बेड का आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित आईपीडी टॉवर बनने जा रहा है, जहाँ हेलीपैड की भी सुविधा दी जाएगी, जिससे प्रदेश के चिकित्सा के क्षेत्र को प्रगति मिल सकेगी।
- 'मिलिये सरकार से' कार्यक्रम की इस पहली कड़ी में मंत्री धारीवाल के समक्ष देश और विदेश से जुड़े अनेक प्रवासियों ने राजस्थान में चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड तथा आर्थिक और सामाजिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार साझा किये।
- फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने कहा कि 'मिलिये सरकार से' कार्यक्रम से न केवल प्रवासियों को अपने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों को करीब से जानने का मौका मिलेगा, बल्कि राजस्थान में जो निवेश के अवसर सरकार द्वारा समय-समय पर खोजे जा रहे हैं, उनमें भी प्रवासियों के योगदान की रूपरेखा तैयार हो सकेगी।
- आयुक्त ने कोरोना महामारी से निपटने में प्रवासी राजस्थानियों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रवासियों द्वारा प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने, लिक्विड ऑक्सीजन भिजवाने, राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से हर तरह का सहयोग राज्य सरकार को प्रदान किया गया।

'सस्टेन बाई कार्टिस्ट' एग्जीबिशन

चर्चा में क्यों ?

- 5 सितंबर, 2021 को राजस्थान के कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने जवाहर कला केंद्र (जेकेके) की अलंकार गैलरी में 'सस्टेन बाई कार्टिस्ट' आर्ट एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। यह एग्जीबिशन 12 सितंबर तक आयोजित की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- यह एग्जीबिशन कबाड़ के उपयोग से आर्ट और डेकोर की वस्तुओं का एक अनूठा प्रदर्शन है। जवाहर कला केंद्र के साथ कार्टिस्ट ने पुरानी कार के पार्ट्स और ऑटोमोटिव वेस्ट के उपयोग से ऑटो पार्ट्स की अपसाइकिलिंग को बढ़ावा देने और डिज़ाइनर फर्नीचर को क्यूरेट करने के लिये इस पहल की शुरुआत की है।
- 'सस्टेन बाई कार्टिस्ट' नामक इस अनूठी पहल को एक महीने के लिये राजस्थान के 33 ज़िलों तक पहुँचाया जाएगा। सभी ज़िलों में स्थानीय कारीगरों के साथ मिलकर काम करते हुए वर्कशॉप्स और एग्जीबिशंस का आयोजन किया जाएगा।
- कार्टिस्ट द्वारा इस अनूठी पहल में पुरानी गाड़ियाँ, जो कबाड़ बन गई हैं और जिन्हें कबाड़ में डाल दिया जाता है, उनका पूरी तरह से उपयोग किया गया है। इस एग्जीबिशन में टायर, ग्रिल, हुड, सीट आदि जैसे गाड़ियों के प्रत्येक भाग का उपयोग फर्नीचर और सज़ावट की वस्तुओं को बनाने के लिये किया गया है।
- इन स्क्रैप पार्ट्स का उपयोग कलाकृतियाँ बनाने के लिये किया गया है, जिससे कि सभी नए कलाकारों को ऐसे कई मटेरियल्स का उपयोग करके उसे कला का रूप देने के लिये प्रेरित किया जा सके।

'राजीव-2021 डिज़िटल क्विजथॉन'

चर्चा में क्यों ?

- 6 सितंबर, 2021 को राज्य में संपन्न हुई राज्यस्तरीय 'राजीव-2021 डिज़िटल क्विजथॉन' के अंतिम चरण की प्रतियोगिता में रिकॉर्ड 14 हज़ार प्रतिभागी शामिल हुए। तीनों चरणों में 37 हज़ार से ज़्यादा युवाओं ने भाग लिया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी के योगदान को युवा पीढ़ी तक पहुँचाने एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में जागरूक करने के लिये राजस्थान के कॉलेज शिक्षा विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 20 अगस्त को डिज़िटल क्विजथॉन की शुरुआत की गई थी।

नोट :

- कॉलेज शिक्षा आयुक्त संदेश नायक ने बताया कि इसके तहत प्रदेश के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिये तीन चरणों में ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन किया गया।
- इसके पहले चरण में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित ऑनलाइन टेस्ट में 12 हज़ार 846 विद्यार्थियों ने भाग लिया। दूसरे चरण में 3 सितंबर, 2021 को 'स्थानीय प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी नवाचारों से सुशासन' विषय पर आयोजित परीक्षा में 10 हज़ार 273 विद्यार्थी शामिल हुए।
- इसी प्रकार सामान्य ज्ञान एवं करेंट अफेयर्स विषय पर 6 सितंबर, 2021 को आयोजित अंतिम चरण की प्रतियोगिता में 14 हज़ार 102 विद्यार्थियों ने भाग लिया।
- इन प्रतियोगिताओं का परिणाम 10 सितंबर, 2021 को घोषित किया जाएगा। विजेताओं को 15 सितंबर, 2021 को पुरस्कार वितरण करना प्रस्तावित है।
- तीनों प्रतियोगिताओं में से प्रत्येक में श्रेष्ठतम 25 प्रतिभागियों को प्रथम पुरस्कार के रूप में एक-एक टैबलेट दिया जाएगा तथा अगले 30 प्रतिभागियों को द्वितीय पुरस्कार के रूप में पुरस्कृत किया जाएगा। इस प्रकार तीनों प्रतियोगिताओं में कुल 75 प्रथम पुरस्कार एवं 90 द्वितीय पुरस्कार दिये जाएंगे।

'स्वच्छ पवन-नील गगन' कार्यशाला का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

- 7 सितंबर, 2021 को 'नीले गगन के लिये स्वच्छ पवन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के अवसर पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, दिल्ली द्वारा राज्य के जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर एवं उदयपुर ज़िलों में 'स्वच्छ पवन-नील गगन' ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- यह कार्यक्रम स्वास्थ्य, उत्पादकता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिये स्वच्छ हवा के महत्त्व के बारे में व्यक्तियों, समुदायों, कॉर्पोरेट्स और सरकार के बीच जागरूकता पैदा करने के लिये आयोजित किया गया।
- कार्यशाला ने शहरी स्थानीय निकायों, उद्योग संघ, शिक्षाविदों और बड़ी संख्या में विद्यालयों, नागरिक समाज समूहों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ-साथ विविध समूहों को भी एक मंच प्रदान किया। आयोजन में राजस्थान के लगभग 287 स्कूलों को आमंत्रित किया गया था।
- राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य आनंद मोहन ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम और राजस्थान के पाँच गैर-प्राप्ति शहरों का एक सिंहावलोकन पेश किया और सीएसई एवं हितधारक एजेंसियों के साथ अपनी उल्लेखनीय टिप्पणियों को साझा किया।
- उल्लेखनीय है कि मानव स्वास्थ्य की रक्षा एवं वायु गुणवत्ता सुधार के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिये प्रतिवर्ष 7 सितंबर को 'नीले गगन के लिये स्वच्छ पवन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस' मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय 'स्वच्छ वायु, स्वस्थ ग्रह' है, जो विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों पर ज़ोर देता है। इसका उद्देश्य सभी के लिये स्वच्छ हवा की आवश्यकता को प्राथमिकता देना है।

शिक्षा विभाग द्वारा अगस्त माह के लिये रैंकिंग जारी, चूरू ज़िला रहा प्रदेश में प्रथम

चर्चा में क्यों ?

- 8 सितंबर, 2021 को राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा अगस्त माह के लिये संयुक्त ज़िला रैंकिंग जारी की गई, जिसमें चूरू ज़िला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा।

प्रमुख बिंदु

- शाला दर्पण पर उपलब्ध डाटा के आधार पर तैयार की गई, इस रैंकिंग में जयपुर व चित्तौड़गढ़ को क्रमशः दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त हुआ।

नोट :

- अतिरिक्त परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, डॉ. रश्मि शर्मा ने राज्य के सभी ज़िला शिक्षा अधिकारियों तथा पदेन ज़िला परियोजना के समन्वयकों को अपने ज़िले और ब्लॉक की रैंकिंग का विश्लेषण करते हुए ज़िले एवं ब्लॉक के कमजोर रहे क्षेत्रों में प्रगति हेतु कार्ययोजना तैयार कर उसका प्रभावी क्रियान्वन करने हेतु निर्देशित किया।
- उन्होने रैंकिंग में अंतिम तीन स्थान प्राप्त करने वाले ज़िलों (प्रतापगढ़, कोटा, धौलपुर) में शिक्षा अधिकारियों को प्राथमिकता से सघन मॉनिटरिंग कर रैंकिंग में अपेक्षित प्रगति हेतु दिशा-निर्देश दिये।

श्रेष्ठ कार्यों के लिये हर तहसील से एक निरीक्षक व एक पटवारी को मिलेगा ज़िलास्तरीय सम्मान

चर्चा में क्यों ?

- 9 सितंबर, 2021 को राजस्व मंडल ने एक और नवाचारी पहल करते हुए राज्य में वर्ष 2020-21 के तहत राजकीय दायित्वों के निर्वहन में उल्लेखनीय योगदान के लिये प्रत्येक तहसील से एक-एक भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को सम्मानित किये जाने का निर्णय लिया।

प्रमुख बिंदु

- राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने बताया कि आलोच्य अवधि के दौरान सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिये राज्य के हर तहसील क्षेत्र से एक श्रेष्ठतम भूअभिलेख निरीक्षक व एक श्रेष्ठतम पटवारी का सम्मान हेतु चयन करने के लिये सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिये गए हैं।
- इस प्रक्रिया के तहत प्रत्येक ज़िले में ज़िलास्तरीय चयन समिति का गठन कर दिया गया है। समिति में अतिरिक्त ज़िला कलेक्टर (प्रशासन) को संयोजक तथा उपखंड अधिकारी (मुख्यालय) व तहसीलदार (मुख्यालय) को सदस्य मनोनीत किया गया है।
- ऐसे कार्मिक जो विगत वर्षों में दंडित न किये गए हों तथा उनके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच लंबित नहीं हो, उन्हें उनके कार्य निष्पादन की गुणवत्ता व श्रेष्ठता के आधार पर सम्मान हेतु चयनित किया जाएगा।
- राजस्व मंडल के अध्यक्ष ने बताया कि फ्लैगशिप योजनाओं, विभागीय वसूली, सहायता प्रकरण, विविध गतिविधियों में भागीदारी एवं सरकार के विविध कार्यक्रमों में योगदान पर आधारित 100 अंकों की तालिका में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले कार्मिक को सम्मान के योग्य माना जाएगा।
- यह प्रक्रिया 15 सितंबर तक पूर्ण की जाकर 30 सितंबर से पूर्व जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर चयनित कार्मिकों को प्रशस्ति-पत्र वितरित किये जाएंगे।

राजभवन में 'सर्वांगीण विकास की नई राह-प्रतिबद्धता के दो वर्ष' पुस्तक का हुआ लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

- 9 सितंबर, 2021 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर राजभवन में 'सर्वांगीण विकास की नई राह-प्रतिबद्धता के दो वर्ष' पुस्तक का लोकार्पण हुआ।

प्रमुख बिंदु

- राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा लोकार्पित इस पुस्तक में राजभवन और राज्यपाल द्वारा राजस्थान में विकास के लिये प्रारंभ की गई नई परंपराओं का चित्रमय विवरण है।
- इस पुस्तक में संविधान जागरूकता के लिये विधानसभा के अभिभाषण में संविधान की उद्देशिका और कर्त्तव्यों के वाचन की परंपरा के ऐतिहासिक सूत्रपात, दो वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार के लिये किये गए प्रयासों, नई शिक्षा नीति लागू करने हेतु हुई पहल आदि पर विस्तार से जानकारियाँ दी गई हैं।
- इस पुस्तक में आदिवासी एवं जनजाति कल्याण, गाँव गोद लेकर किये गए उनके विकास हेतु कार्यों, राजभवन द्वारा स्थापित विकास की नवीन परंपराओं, कोरोना संकट में भी सतत् हुए विकास कार्यों, सैनिक कल्याण, स्काउट गाईड के ज़रिये समाज कल्याण, राज्यपाल राहत कोष के दायरे को बढ़ाकर इसके ज़रिये हुए कार्य और राजभवन के सामाजिक सरोकारों पर विस्तार से जानकारी दी गई है।
- उल्लेखनीय है कि कलराज मिश्र 9 सितंबर, 2019 को राजस्थान के राज्यपाल के पद पर आसीन हुए थे।

नोट :

सभी ज़िला न्यायालयों को वी.सी. रिमोट पॉइंट से जोड़ा गया

चर्चा में क्यों ?

- 10 सितंबर, 2021 को बनीपार्क कोर्ट जयपुर एवं गंगानगर कोर्ट के न्यायाधीशों ने न्यायालय में गवाहों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंस (वी.सी.) के माध्यम से दर्ज कराने की सुविधा की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- उच्च न्यायालय में वीसी के ज़रिये दिये जाने वाले बयान को लेकर 2 अगस्त, 2021 को रूल्स नोटिफाई कर दिये गए थे। राज्य सरकार ने इसके लिये सीआरपीसी में संशोधन किया है।
- विशिष्ट शासन सचिव, गृह, वी.सरवन कुमार ने बताया कि गवाह को कई किलोमीटर की यात्रा के बाद कोर्ट में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने से निजात मिलेगी। गवाह ज़िला न्यायालय के परिसर में वीसी रिमोट पॉइंट के स्टूडियो में जाकर वीसी के माध्यम से अपना बयान दर्ज करा सकेगा।
- उन्होंने बताया कि प्रथम फेज के रूप में सभी ज़िला न्यायालयों को वीसी रिमोट पाइंट से जोड़कर स्टूडियो बनाया गया है तथा कोर्ट के कर्मचारियों को इन स्टूडियो पर कोऑर्डीनेटर नियुक्त किया गया है।
- प्रदेश की 1242 कोर्ट में वीसी का हार्डवेयर इन्स्टॉल किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट टीम का लाइसेंस एवं फाइबर इंटरनेट कनेक्टिविटी दी गई है।
- द्वितीय फेज में तालुका कोर्ट में वीसी रिमोट पॉइंट बनाया जाएगा। सरकारी ऑफिस एवं अस्पताल को भी इससे जोड़ा जाएगा।
- उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा वीसी के रूल्स नोटिफाई करने के बाद समय पर गवाह का बयान हो सकेगा। सरकारी खर्चे एवं समय की बचत होगी तथा ट्रायल भी जल्द ही संभव होगा। पारदर्शिता के साथ पूरी प्रक्रिया संपन्न होने से कोर्ट केस के लंबित मामलों में कमी आएगी।

राज्यपाल ने किया पर्यटन के डिजिटल अभियान के पोस्टर का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

- 10 सितंबर, 2021 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में 'फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान के डिजिटल कैंपेन'के पोस्टर का लोकार्पण कर कैंपेन की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान समृद्ध प्रदेश है। यहाँ के पर्यटन में रोज़गार की भी अपार संभावनाएँ हैं।
- उन्होंने राजस्थान पर्यटन की समृद्धता को सूचना और संचार तकनीक के ज़रिये सुदूर देशों तक अधिकाधिक पहुँचाने का आह्वान किया।
- उन्होंने इको-टूरिज्म पर फोकस इस अभियान की सराहना की।

केकड़ी गौशाला के सिंहद्वार का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

- 12 सितंबर, 2021 को राजस्थान के चिकित्सा एवं जनसंपर्क मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने अजमेर ज़िले में केकड़ी गौशाला के नवनिर्मित सिंहद्वार का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास फंड के माध्यम से गौशाला के विकास कार्यों के लिये 21 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

नोट :

- इसी प्रकार गौशाला में पशु उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। नए केंद्र के स्वीकृत होने तक गायों के उपचार के लिये अस्थायी व्यवस्था तुरंत प्रभाव से आरंभ होगी।
- दुर्घटना में घायल पशुओं को उपचार सुलभ कराने के लिये नगरपालिका के माध्यम से एक पशुवाहन खरीदा जाएगा। नगरपालिका की तरफ से 10 लाख के विकास कार्य तथा 10 लाख की सड़कें आदि बनाई जाएंगी।
- उल्लेखनीय है कि यह गौशाला लगभग एक शताब्दी पुरानी है। पूर्व में यह गौशाला देवगाँव में स्थित थी।
- इसका निर्माण कृषि उपज मंडी की केकड़ी व्यापारिक एसोसिएशन द्वारा करवाया गया है। इसमें 4 कमरे तथा सिंहद्वार शामिल हैं।

ईसरदा बांध परियोजना

चर्चा में क्यों ?

- 11 सितंबर, 2021 को श्रम एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि अलवर ज़िले में सतही पेयजल उपलब्ध कराने के लिये ईसरदा बांध परियोजना के सेकेंड पेज का सर्वे कार्य एवं डीपीआर बनाने की निविदा जारी कर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- पूर्वी राजस्थान के लिये राजस्थान की यह दूसरी बड़ी परियोजना राज्य के अलवर, जयपुर सहित दौसा एवं सवाई माधोपुर को लाभ पहुँचाएगी।
- परियोजना के सेकेंड पेज से कुल 2547 गाँव एवं 11 कस्बों को पेयजल उपलब्ध होगा। इसमें अलवर ज़िले के 1118 गाँव एवं 4 कस्बे सम्मिलित हैं तथा शेष 1429 गाँव एवं 60 कस्बे जयपुर ज़िले के शामिल हैं।
- परियोजना के सेकेंड पेज में ज़िले के अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की उमरैण पंचायत समिति के 110 तथा मालाखेड़ा पंचायत समिति के 90 गाँव सहित अलवर ज़िले के थाना गाजी के 163, राजगढ़ के 140, बानसूर के 147, रैणी के 110, लक्ष्मणगढ़ के 206 तथा कठूमर के 152 गाँव सहित कुल 1118 गाँव तथा 4 कस्बे अलवर, राजगढ़, खेड़ली एवं थाना गाजी को इस परियोजना में सम्मिलित किया गया है।

राजस्थान विधियाँ (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021

चर्चा में क्यों ?

- 13 सितंबर, 2021 को राज्य विधानसभा ने राजस्थान विधियाँ (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे नगरीय क्षेत्रों में पुरानी आबादी एवं गैर-कृषि भूमि पर अधिकार के साथ काबिज़ लोगों को फ्री होल्ड पट्टा मिल सकेगा।

प्रमुख बिंदु

- स्वायत्त शासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने सदन में चर्चा के दौरान बताया कि प्रदेश में ऐसे कई लोग हैं, जो नगरीय क्षेत्रों में पुरानी आबादी एवं गैर-कृषि भूमि पर अधिकार के साथ काबिज़ है, किंतु उनके पास उसका पट्टा नहीं है। ऐसे सभी व्यक्तियों को उस भूमि पर अपने अधिकार समर्पित करने पर फ्री होल्ड पट्टा देने का प्रावधान करने के उद्देश्य से यह बिल लाया गया है।
- यह प्रोविजन नगरपालिका एक्ट की धारा 69-ए में पहले से ही है। उसमें कुछ सुधार कर प्राधिकरणों व नगर सुधार न्यास एक्ट में संशोधन कर 69-ए में लीज होल्ड को फ्री होल्ड किया जा रहा है।
- इस विधेयक के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास अन्य कानून के अधीन जारी कोई पट्टा या आदेश है, जिसमें भूमि आवंटित हुई है तो उसे भी उस भूमि पर अपने अधिकार समर्पित करने के बाद फ्री होल्ड पट्टा देने का प्रावधान किया गया है।
- इसके कारण वह लैंड होल्डर उन लाभों का उपयोग कर पाएगा, जो एक फ्री लैंड होल्डर के होते हैं। इस दृष्टि से जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास और नगर पालिका एक्ट में संशोधन प्रस्तावित किये गए हैं।

नोट :

- इस विधेयक में यूआईटी एक्ट की धारा 43 को बदल कर यह प्रावधान किया गया है कि भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 103 में वर्णित समस्त भूमियाँ, जैसे- सड़कें, रास्ते आदि सार्वजनिक उपयोग की भूमियाँ, गोचर, श्मशान, कब्रिस्तान आदि सामुदायिक उपयोग की भूमियाँ, टिनेंसी एक्ट की धारा (5), (24) में परिभाषित भूमियाँ यूआईटी में समाहित मानी जाएंगी, परंतु धारा 103(ए)(2) में वर्णित अवाप्त भूमि यूआईटी में समाहित नहीं होगी।
- इन प्रावधानों का लैंड रेवेन्यू एक्ट के ऊपर ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा, जैसा कि प्राधिकरणों के तीनों कानूनों में है। जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण और अजमेर विकास प्राधिकरण के एक्ट में यह प्रावधान पहले से है।
- चारदीवारी क्षेत्र, हैरिटेज एवं प्रतिबंधित क्षेत्र के बाईलॉज एवं नियम अलग से बने हुए हैं। वहाँ पर वही नियम लागू होंगे।

इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

चर्चा में क्यों ?

- 14 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लैब तथा विभिन्न विशेषज्ञ सेवाओं एवं सुविधाओं आदि के लिये 49.71 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के प्रस्तावों को स्वीकृति दी।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान में वेलनेस टूरिज़्म और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिये जोधपुर स्थित डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
- प्रस्ताव के अनुसार, आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 43.81 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 'इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म' स्थापित किया जाएगा।
- विश्वविद्यालय में एक 'इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म' और एक 'ड्रग टेस्टिंग लैब' की स्थापना के साथ-साथ रसायन शाला का विस्तार किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि राज्य के बजट वर्ष 2021-22 में विश्वविद्यालय में इनकी स्थापना और सुविधाओं के विस्तार के लिये घोषणा की गई थी।
- वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत प्राकृतिक वातावरण में ठहरने के लिये इस सेंटर में 100 बेड की सुविधा उपलब्ध होगी। इस क्रम में 9 सुपर डीलक्स हट तथा 44 डीलक्स हट सहित कुल 53 हट्स और 47 कॉटेज के साथ-साथ पंचकर्म थैरेपी के लिये हट्स निर्मित की जाएंगी।
- वेलनेस सेंटर में एक कृत्रिम झील और प्रशासनिक भवन का निर्माण कराया जाएगा। इस सेंटर का संचालन पंचकर्म चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त विश्वस्तरीय कंपनियों और संस्थानों द्वारा पीपीपी मोड पर होगा। विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा इस सेंटर के लिये तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।
- आयुर्वेद विश्वविद्यालय में ड्रग टेस्टिंग लैब के लिये लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य कराए जाएँगे तथा 60 लाख रुपए की लागत से आवश्यक फर्नीचर एवं फिक्सर स्थापित होंगे।
- विभिन्न उपकरणों की खरीद पर 3.50 करोड़ रुपए के व्यय के साथ लैब की कुल निर्माण लागत लगभग 5.10 करोड़ रुपए है। इस लैब के लिये सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से संविदा के आधार पर विभिन्न कार्मिकों की सेवाएँ ली जाएँगी।

मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड

चर्चा में क्यों ?

- 15 सितंबर, 2021 को जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री अर्जुन बामनिया ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड में जन-प्रतिनिधियों को भी परामर्शदाता के रूप में जोड़ा जाएगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने बताया कि बोर्ड के माध्यम से जालौर, पाली तथा अन्य ज़िलों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छात्रावास भी स्वीकृत किये गए हैं।
- उल्लेखनीय है कि मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन 2 फरवरी, 2021 को किया गया था।
- मारवाड़ क्षेत्रीय विकास बोर्ड का उद्देश्य जोधपुर संभाग के माडा, माडा कलस्टर एवं बिखरी जनजाति क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति समुदाय का विकास करना है।
- यह बोर्ड जोधपुर संभाग में अनुसूचित जनजाति समुदाय के उत्थान एवं विकास के विषय में राज्य सरकार की स्थाई परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करेगा बोर्ड को इस संदर्भ में विशेष योजनाओं का निर्माण कर उन्हें जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग या अन्य विभागों के माध्यम से क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकार को संस्तुति प्रदान करने का अधिकार है।

वात्सल्य योजना

चर्चा में क्यों ?

- 15 सितंबर, 2021 से जयपुर में देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को पारिवारिक वातावरण में पालन-पोषण एवं देखरेख सुनिश्चित करने हेतु ज़िला बाल संरक्षण इकाई, जयपुर द्वारा राजस्थान सरकार वात्सल्य योजना का क्रियान्वयन शुरू किया गया।

प्रमुख बिंदु

- ज़िला बाल संरक्षक इकाई के सहायक निदेशक रोहित जैन ने बताया कि ज़िले में इस योजना के तहत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत बच्चों का पारिवारिक वातावरण में पालन-पोषण एवं देखरेख करने के इच्छुक भावी पोषक माता-पिता को चिह्नित करने के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गए हैं।
- कोई भी इच्छुक भावी पोषक माता-पिता द्वारा कार्यालय सहायक निदेशक, ज़िला बाल संरक्षण इकाई, जयपुर को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। पोषक माता-पिता के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(14) में परिभाषित देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को अस्थाई पारिवारिक देखरेख (दत्तक ग्रहण से अलग) उपलब्ध कराई जाएगी।
- वात्सल्य योजना के तहत पोषक माता-पिता हेतु योग्यता निम्नानुसार है-
  - एक व्यक्ति (महिला या पुरुष) की स्थिति में न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये, भावी पोषक माता-पिता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिये, एकल पुरुष किसी बालिका को पालन-पोषण देखरेख में लेने के पात्र नहीं होंगे।
  - भावी पोषक माता-पिता निर्धारित आवदेन-पत्र के साथ आयु संबंधित प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आयकर रिटर्न का प्रतिचिकित्सीय प्रमाण-पत्र, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट एवं दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की गवाही प्रस्तुत करेंगे।
  - उल्लेखनीय है कि वात्सल्य योजना को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2020-21 के बजट भाषण के दौरान लॉन्च किया था।

राजस्थान विधानसभा में विभिन्न विधेयक पारित

चर्चा में क्यों ?

- 17 सितंबर, 2021 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक तथा एमबीएम विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक सहित कई विधेयकों को पारित कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- पारित किये गए विधेयकों में राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, एमबीएम विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2021, राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2021 तथा रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 शामिल हैं।

नोट :

- वित्तीय वर्ष 2021-22 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिये राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2021 लाया गया था।
- इस विधेयक के पारित होने से 3163.26 करोड़ रुपए की राशि संदत्त और उपयोजित की जा सकेगी।
- उच्च शिक्षा राज्यमंत्री भंवरसिंह भाटी ने कहा कि एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर को विश्वविद्यालय बनाने से मारवाड़ क्षेत्र में उच्च शिक्षा का प्रसार करने में मदद मिलेगी। यह विश्वविद्यालय बहु विधा वाला होगा और यहाँ इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा पहले की तरह ही संचालित होती रहेगी।
- संसदीय मामलों के मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न शर्तें लगाने की वजह से राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2021 लाया गया है।
- धारीवाल ने विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में बताया कि वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों के अनुसार राजस्थान सरकार का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 3.98 प्रतिशत है। वहीं केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6 फीसदी से अधिक है।
- राजस्थान विधानसभा ने एक अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयक रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 को भी ध्वनिमत से पारित किया।
- इसके पारित होने के बाद अब पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाले की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति का दुरूपयोग रूकेगा। इसमें अब जिस दिन पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी, उस दिन का जीवित प्रमाण-पत्र भी रजिस्ट्री के समय देना होगा। इससे यह पता चलेगा कि यह पावर ऑफ अटॉर्नी सही है या नहीं।
- धारीवाल ने बताया कि एक वर्ष से कम की अवधि के पट्टों के पंजीकरण में आमजन को अब परेशानी नहीं होगी। इस तरह के पंजीकरण अब ऑनलाइन भी होंगे। आमजन को सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाना नहीं पड़ेगा।
- किरायेनामे के पंजीकरण से किरायेदारों का पंजीकरण भी स्वत: ही होगा। इससे उनकी पहचान हो सकेगी। किरायेनामे सहित अन्य तरह से अचल संपत्ति के विवाद भी कम होंगे।

राजस्थान विधानसभा का षष्ठम् सत्र अनिश्चितकाल के लिये स्थगित

चर्चा में क्यों ?

- 18 सितंबर, 2021 को राजस्थान विधानसभा का षष्ठम् सत्र अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने बताया कि 10 फरवरी, 2021 को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत हुई थी। इसमें कुल 26 बैठकें हुईं तथा कार्यवाही समाप्त होने तक लगभग 186 घंटे 46 मिनट विधानसभा की कार्यवाही चली।
- उन्होंने बताया कि इस सत्र में कुल 8763 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से तारांकित प्रश्न 3941 एवं अतारांकित प्रश्न 4822 हैं। कुल 447 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए, जिनमें से 290 प्रश्न मौखिक रूप से पूछे गए एवं उनके उत्तर दिये गए। इसी तरह 470 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए।
- सदस्यों से प्रक्रिया के नियम-50 के अंतर्गत कुल 405 स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई। इनमें से 125 स्थगन प्रस्तावों पर सदन में बोलने का अवसर दिया गया तथा 116 सदस्यों ने अपने विचार रखे।
- सदस्यों से प्रक्रिया के नियम-295 के अंतर्गत प्राप्त 362 विशेष उल्लेख के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 52 सूचनाएँ सदस्यों के सदन में अनुपस्थित होने के कारण व्यपगत हुईं।
- प्रक्रिया के नियम-131 के अंतर्गत 890 प्रस्तावों की सूचनाएँ प्राप्त हुईं। सदन में कुल 4 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अग्राह्य किये गए।
- विभिन्न विभागों से संबंधित 11 अनुदानों की मांगों पर विभिन्न दिवसों में हुई चर्चा में कुल 272 सदस्यों ने भाग लिया।
- अनुदान की मांगों पर 2682 कटौती प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई, जिनमें से 1929 कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये गए एवं 753 कटौती प्रस्ताव अग्राह्य किये गए।

नोट :

- डॉ. जोशी ने बताया कि वर्तमान सत्र में पुन:स्थापित किये गए 17 विधेयक तथा गत सत्र में पुन:स्थापित हुए विधेयकों को सम्मिलित करते हुए कुल 20 विधेयक सदन द्वारा पारित किये गए।
- विधेयकों पर सदस्यों से कुल 362 संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 30 संशोधन प्रस्ताव सचिवालय स्तर पर अग्राह्य एवं 332 संशोधन स्वीकार किये गए। सदन में 9 याचिकाएँ सदस्यों द्वारा उपस्थापित की गईं। सत्र में विभिन्न समितियों के कुल 41 प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किये गए।

'राजस्थान ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन स्कीम'

चर्चा में क्यों ?

- 20 सितंबर, 2021 को मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने 'राजस्थान ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन स्कीम' के तहत स्पष्ट एडवाइजरी जारी करने तथा इको सेंसेटिव क्षेत्रों में आने वाले भवनों पर वन एवं पर्यावरण विभाग के सभी नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया।

प्रमुख बिंदु

- शासन सचिवालय में 'राजस्थान ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन स्कीम' को लेकर आयोजित बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलने से स्थानीय हस्तकलाओं, दस्तकारियों, नृत्यों एवं संगीत को व्यापक प्रचार-प्रसार मिलने के साथ ही ग्रामीण लोगों को रोज़गार के अधिकाधिक अवसर प्राप्त होने की संभावना बढ़ेगी।
- पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश एवं रोज़गार का सृजन करने के साथ वहाँ के हस्तशिल्प व स्थानीय उत्पादों का संरक्षण व प्रचार-प्रसार करना है।
- 'राजस्थान ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन स्कीम' के तहत चार यूनिट्स- गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैंपिंग साइट तथा कैरावेन पार्क स्थापित किये जाएंगे।
- गेस्ट हाउस के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 6 से 20 कमरों तक पर्यटकों को अस्थाई आवास एवं भोजन की सुविधा मिलेगी। यहाँ आवास मालिक या मैनेजर को परिवार सहित रहना आवश्यक होगा।
- कृषि पर्यटन इकाई कृषि, व्यावसायिक एवं औद्योगिक भूमि एवं न्यूनतम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर स्थापित की जा सकेगी। इसके 20 प्रतिशत भाग पर निर्माण की अनुमति होगी, शेष 80 प्रतिशत भूमि ऊँट-घोड़ा फार्म, गोशाला, फसल आदि ग्रामीण परिवेश के लिये उपयोग में ली जा सकेगी।
- कैंपिंग साइट के लिये कृषि, व्यावसायिक एवं औद्योगिक भूमि पर अनुमति होगी। न्यूनतम क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर के 10 प्रतिशत भाग पर निर्माण की अनुमति होगी तथा 80 प्रतिशत भाग ऊँट फार्म, घोड़ा फार्म, फसल, पशुधन, बगीचे, ग्रामीण परिवेश हेतु उपयोग में लिये जा सकेंगे।
- पर्यटकों द्वारा मोबाइल वैन को पार्क करने के लिये कैरावेन पार्क स्थापित किये जाएंगे। यह न्यूनतम 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की कृषि, व्यावसायिक एवं औद्योगिक भूमि पर बनाए जा सकेंगे। यहाँ पर्यटकों के लिये खाना पकाने, खाना खाने एवं सुविधाओं के निर्माण की अनुमति होगी। कैरावेन वाहन पार्क करते समय वैन में पर्यटकों की उपस्थिति आवश्यक होगी।
- ये सभी टूरिज़्म यूनिट्स कम-से-कम 10 फीट चौड़ी सड़क पर ही अनुमत होंगी।

वाणिज्य उत्सव

चर्चा में क्यों ?

- 21 सितंबर, 2021 को उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने जवाहर कला केंद्र में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 'वाणिज्य उत्सव' का शुभारंभ किया और हस्तशिल्प निर्यात संवर्द्धन परिषद (EPCH) की ओर से लगाई गई हैंडीक्राफ्ट उत्पादों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने कहा कि महोत्सव को यादगार बनाने के लिये उद्योग एवं वाणिज्य विभाग एक साथ 75 औद्योगिक क्षेत्रों का शिलान्यास करेगा।
- मीणा ने कहा कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिशन 'निर्यातक बनो' प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत लोगों को निर्यात से जुड़ी गतिविधियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है।
- उद्योग एवं वाणिज्य शासन सचिव एवं रीको के प्रबंध निदेशक आशुतोष ए.टी. पेडणेकर ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत निर्यात गतिविधियों को बढ़ाने के लिये 'वाणिज्य सप्ताह' का आयोजन देश भर में किया जा रहा है।
- उन्होंने कहा कि रिप्स-2019 राज्य में अप्रत्याशित निवेश आकर्षित करने में सफल रही है। योजना में अब तक लगभग एक लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।
- विदेश व्यापार के संयुक्त महानिदेशक चंद्रकांत मिश्रा ने कहा कि उद्योग विभाग द्वारा संचालित मिशन 'निर्यातक बनो' के बाद नए आईईसी कोड लेने वालों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि यह शायद देश का पहला ऐसा मिशन है, जिसके तहत सरकार स्वयं कह रही है कि आप निर्यातक बनो, हम आपकी मदद करेंगे।

कृषि महाविद्यालय

चर्चा में क्यों ?

- 22 सितंबर, 2021 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर की संघटक इकाई के रूप में स्थापित कृषि महाविद्यालय, डूँगरपुर का ऑनलाइन उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्यपाल एवं कुलाधिपति ने महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा पेटेंट कार्य, रोबोटिक्स संबंधित नव-प्रवर्तन, 'मेवाड़ ऋतु' ऐप से मौसम भविष्यवाणी आदि कदमों की सराहना करते हुए कृषि क्षेत्र में विश्वविद्यालय को देश का उत्कृष्ट केंद्र बनाने का आह्वान किया।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर कहा कि कृषि क्षेत्र पर ग्रामीण आबादी की निर्भरता को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा गत दो वर्ष में 13 कृषि महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। आदिवासी क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय प्रारंभ होने से यहाँ के छात्रों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। जनजातीय क्षेत्र की शैक्षिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए ही बाँसवाड़ा में अभियांत्रिकी महाविद्यालय और गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय प्रारंभ किये गए हैं।
- उन्होंने कहा कि कृषि को प्राथमिकता पर रखते हुए राज्य सरकार ने कृषि का अलग बजट प्रस्तुत करने का निर्णय किया है और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिये कृषि प्रसंस्करण नीति-2019 तथा कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति लागू की है। किसानों को खुद की कृषि प्रसंस्करण इकाई लगाने पर एक करोड़ रुपए तक अनुदान दिया जा रहा है।
- महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के कुलपति डॉ. नरेंद्र सिंह राठौड़ ने अपने स्वागत भाषण में विश्वविद्यालय द्वारा कोरोना काल में संचालित की गई ऑनलाइन शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियों की जानकारी दी।
- इस अवसर पर कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि राजस्थान सरसों, बाजरा सहित कई फसलों के उत्पादन में देश भर में अग्रणी है। दुग्ध उत्पादन में भी राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। पशुधन की नस्लों को लेकर भी राजस्थान की अपनी विशिष्ट पहचान है।

नोट :

राजस्थान सौर ऊर्जा में नंबर वन

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में जारी भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की एक रिपोर्ट में राजस्थान 7737.95 मेगावाट सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के साथ कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए देश में पहले पायदान पर आ गया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि MNRE की रिपोर्ट में गुजरात 5708 मेगावाट क्षमता के साथ तीसरे, तमिलनाडु 4675 मेगावाट क्षमता के साथ चौथे तथा आंध्र प्रदेश 4380 मेगावाट के साथ पाँचवे स्थान पर है।
- कोविड-19 की विषम परिस्थितियों के बावजूद विगत मात्र आठ माह में ही राजस्थान में 2348.47 मेगावाट नई सौर ऊर्जा की क्षमता स्थापित की गई है।
- राजस्थान ने वर्ष 2021 में सौर ऊर्जा के ग्राउंड माउंट, रूफ टॉप और ऑफ ग्रिड सहित सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति दर्ज की है।
- ग्रीन एनर्जी-क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी बनाने की दिशा में राज्य की सौर ऊर्जा नीति-2019 निवेशकों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण रही है। साथ ही, रिप्स-2019 के प्रावधानों से प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है। इस नीति के तहत अप्रैल 2021 में प्रदेश में हाईब्रिड ऊर्जा के क्षेत्र में 34 हज़ार 200 करोड़ रुपए के कस्टमाइज्ड निवेश प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। इनमें से अधिकतर सौर ऊर्जा से संबंधित हैं।
- सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने की नीतियों का परिणाम रहा है कि राजस्थान इस क्षेत्र में देश और दुनिया के निवेशकों के लिये पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया है। इस अवधि में रिकॉर्ड 10 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश इस क्षेत्र में हुआ है।
- उल्लेखनीय है कि सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान की अनुकूल भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए प्रदेश में 142 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का आकलन किया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा कारगर योजना बनाई गई है। योजना के तहत 2024-25 तक 30 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो देश के ऊर्जा परिदृश्य को पूरी तरह बदल देगा।

5 विभागों की 7 योजनाएँ स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में सूचीबद्ध

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास एवं रोज़गार से जुड़ी 'मुख्यमंत्री युवा संबल योजना' सहित 5 विभिन्न विभागों की 7 योजनाएँ स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम सूची में शामिल की गई हैं।

प्रमुख बिंदु

- इस संबंध में आयोजना विभाग ने आदेश जारी कर संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की गहन मॉनिटरिंग करें तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना तैयार कर हर माह की 7 तारीख तक मुख्यमंत्री कार्यालय तथा आयोजना विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।
- घोषित कार्यक्रम में कौशल, रोज़गार एवं उद्यमिता विभाग द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री युवा संबल योजना', उच्च शिक्षा विभाग की 'कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना' और 'देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना', स्वायत्त शासन विभाग की 'इंदिरा रसोई योजना' और 'इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना', वन विभाग द्वारा संचालित 'घर-घर औषधि योजना' तथा ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना' स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में सम्मिलित की गई हैं।
- फ्लैगशिप कार्यक्रम सूची में शामिल चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की 'आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना' के नाम को 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' के रूप में संशोधित भी किया गया है।

नोट :

वाणिज्यिक कर विभाग का पुनर्गठन

चर्चा में क्यों ?

- 24 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) के लागू होने के बाद बदले हुए परिदृश्य तथा राज्य में इसके बेहतर एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिये वाणिज्यिक कर विभाग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- इसके तहत बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिये ज़ोन, नियमित सर्किल एवं वार्डों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही, करदाताओं की सुविधा के लिये अपीलीय प्राधिकारी कार्यालय भी स्वीकृत किये गए हैं।
- इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा और राजस्थान वाणिज्यिक कर (अधीनस्थ) सेवा के 15 अतिरिक्त पद सृजित करने की स्वीकृति दी है। इससे विभाग के कैडर की संख्या बढ़कर 1833 हो जाएगी।
- प्रस्ताव के तहत राज्य में GST के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये भिवाड़ी में नया ज़ोन बनाया जाएगा। इससे प्रशासनिक ज़ोन की संख्या 16 हो जाएगी। ज़ोन जयपुर-4 और जोधपुर-2 को कार्यात्मक बनाया जाएगा। नियमित सर्किल की संख्या डेढ गुना तक बढ़ाकर 82 से 135 की जाएगी। नियमित वार्डों की संख्या भी 296 से 320 की जाएगी।
- GST की शुरुआत के बाद विशेष सर्किल, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स एवं लीजिंग टैक्स की प्रासंगिकता नहीं रही है, इसलिये उन्हें समाप्त किया जा रहा है।
- करदाताओं की सुविधा के लिये कोटा ज़ोन में अपीलीय प्राधिकारी का कार्यालय स्वीकृत किया गया है।
- ऑडिट एवं एंटी इवेजन कार्य के सुदृढ़ीकरण के लिये बिजनेस इंटेलीजेंस यूनिट का गठन किया जा रहा है। तकनीकी रूप से सक्षम इस यूनिट में विभागीय अधिकारी भी शामिल होंगे और यह यूनिट GSTN डेटाबेस एवं ई-वे बिल पोर्टल के डेटा का प्रभावी विश्लेषण करेगी।
- एंटी इवेजन विंग का नाम बदलकर एन्फोर्समेंट विंग किया जा रहा है। साथ ही, कर धोखाधड़ी गतिविधियों में लिप्त वास्तविक व्यक्तियों की पहचान करने के लिये एक साइबर सेल गठित की जा रही है।
- राज्य, ज़ोन एवं नियमित वृत्त स्तर पर त्रिस्तरीय ऑडिट स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। राज्य और ज़ोनल स्तर पर बड़े एवं जटिल मामलों की ऑडिट सुनिश्चित होगी।
- ईमानदारी से अपने कर दायित्व का निर्वहन करने वाले करदाताओं की शिकायतों के समाधान के लिये टैक्सपेयर केयर यूनिट गठित की जा रही है। इसमें योग्य सीए एवं कर व्यवसायी शामिल होंगे।
- डीलरों के लिये सरल, आसान और त्वरित पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिये सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट बनाई जाएगी। पंजीकरण का कार्य मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार किया जाएगा।
- राजस्थान राज्य कर अकादमी (STAR) को अत्याधुनिक प्रशिक्षण संस्थान बनाने के लिये इसमें वर्तमान में हो रहे बदलाव को शामिल करते हुए अद्यतन किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के कर राजस्व संग्रहण में वाणिज्यिक कर विभाग महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। राज्य के कर राजस्व में इसका योगदान लगभग 50 प्रतिशत तक है। वित्त वर्ष 2021-22 में कर राजस्व लक्ष्य 60 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक का है। वर्तमान में इस विभाग द्वारा राज्य में आरजीएसटी एक्ट-2017, राजस्थान वैट एक्ट-2003 तथा राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) एक्ट-1962 का क्रियान्वयन किया जाता है।

एमनेस्टी स्कीम 2021

चर्चा में क्यों ?

- 25 सितंबर, 2021 को राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु एमनेस्टी स्कीम 2021 लागू की गई है, जो कि 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी रहेगी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इसमें पूर्व में संचालित राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, 1990 के अंतर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयाँ, जो योजना के प्रावधानों एवं शर्तों का पालन करने में असफल रही हैं, उन्हें सरकार द्वारा उद्योग विभाग के माध्यम से राहत प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत वित्तीय संकट, प्राकृतिक आपदा, टेक्नोलॉजी परिवर्तन एवं अपरिहार्य कारणों से असफल रही इकाईयों को संबल प्रदान करने के लिये अब वसूलनीय मूल अनुदान राशि के पेटे 50 प्रतिशत राशि जमा कराने पर बकाया मूल अनुदान एवं समस्त ब्याज माफ कर दिया जाएगा।
- इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि किसी इकाई ने मूल अनुदान में से जो राशि पूर्व में जमा करा दी है, उसे शामिल करते हुए आधा मूल अनुदान जमा कराने पर भी इस स्कीम का लाभ मिलेगा। साथ ही पूर्व में आधा या उससे अधिक मूल अनुदान जमा करा चुकी इकाईयों का पूरा ब्याज माफ किया जाएगा। इससे वित्तीय कारणों से रुग्ण हो चुकी इकाइयों को राहत मिलेगी।
- उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त अर्चना सिंह ने कहा कि इस योजना से करीब 565 इकाईयों को लाभ मिलेगा। विगत कई वर्षों से इन इकाईयों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों से उनको न केवल राहत मिलेगी, बल्कि बंद इकाईयों के पुनर्जीवन का नया रास्ता खुलेगा, जिससे राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बल मिलेगा।
- उल्लेखनीय है कि राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना में राज्य सरकार ने 13,413 इकाईयों को उनके द्वारा किये गए स्थायी पूंजी निवेश पर करीब 308 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था।
- इस योजना में यह शर्त थी कि लाभान्वित इकाई न्यूनतम 5 वर्ष तक उत्पादनरत् रहेगी। हालाँकि इसमें से मात्र 4 प्रतिशत इकाईयाँ इस शर्त को पूरा नहीं कर सकीं। इस कारण उनसे नियमानुसार लगभग 25 करोड़ रुपए मूल अनुदान और अब तक करीब 75 करोड़ रुपए ब्याज राशि वसूल की जानी थी, लेकिन यह इकाईयाँ वसूलनीय मूल अनुदान राशि का 50 प्रतिशत जमा कराकर इस स्कीम का लाभ ले सकेंगी।
- इस स्कीम को अत्यंत सरल, सुगम एवं पारदर्शी बनाया गया है। पात्र इकाईयाँ बकाया मूल अनुदान की राशि जमा कराकर निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ अनुदान वितरण एजेंसियों, यथा- ज़िला उद्योग केंद्र, राजस्थान वित्त निगम एवं रीको को जमा कराना होगा, पात्रता जाँच के बाद सभी एजेंसियाँ अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन पत्रों को आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य को प्रेषित करेंगी।
- वितरण एजेंसियों से प्राप्त प्रस्ताव एवं पात्रता की जाँच उपरांत आयुक्त द्वारा संबंधित इकाई से वसूलनीय शेष मूल अनुदान एवं संपूर्ण ब्याज राशि को माफ करने का आदेश जारी किया जाएगा।

'पीएम कुसुम कंपोनेंट-ए' योजना

चर्चा में क्यों ?

- 29 सितंबर, 2021 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित 'पीएम कुसुम कंपोनेंट-ए' योजना के अंतर्गत आठवें सौर ऊर्जा संयंत्र से झालावाड़ ज़िले की खानपुर तहसील के बाघेर गाँव में ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. सुबोध अग्रवाल ने परियोजना के बारे में बताया कि परियोजना की स्थापना के लिये जयपुर विद्युत वितरण निगम तथा स्थानीय कृषक राम हेतार नागर के मध्य 25 वर्ष की अवधि हेतु विद्युत क्रय अनुबंध किया गया है।
- इससे अनुमानित 9 लाख यूनिट विद्युत का उत्पादन प्रतिवर्ष होगा, जिसे जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा 3.14 रुपए प्रति यूनिट की दर पर 25 वर्ष तक क्रय किया जाएगा, जिससे संबंधित कृषक को प्रतिवर्ष लगभग 28 लाख का राजस्व प्राप्त होगा।
- परियोजना का निर्माण लगभग 1 हेक्टेयर भूमि पर किया गया है तथा 0.5 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना की निर्माण लागत लगभग 2 करोड़ रुपए है।
- उन्होंने बताया गया कि 'पीएम कुसुम कंपोनेंट-ए' योजना के अंतर्गत यह कोटा संभाग एवं झालावाड़ ज़िले का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र है।

नोट :

- बजट घोषणा 2019-20 में प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत 2600 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से अब तक 722 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं हेतु लेटर ऑफ अवॉर्ड जारी किये जा चुके हैं।
- गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम योजना) भारत सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना है, जिसके कंपोनेंट-ए का राज्य में क्रियान्वयन राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा किया जा रहा है।
- इस योजना के प्रथम चरण में कुल 722 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएँ स्थापित करने हेतु 623 सौर ऊर्जा उत्पादकों का चयन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक क्षमता 9.5 मेगावाट तथा सर्वाधिक 8 प्रोजेक्ट राजस्थान में ही स्थापित किये गए हैं।

भूमि संरक्षण के लिये प्रो. श्यामसुंदर ज्याणी संयुक्त राष्ट्र के पुरस्कार से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

- 28 सितंबर, 2021 को राजस्थान के प्रो. श्यामसुंदर ज्याणी को भूमि संरक्षण हेतु विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार 'लैंड फॉर लाइफ अवॉर्ड' (Land for Life Award) से नवाजा गया।
  - चीन के बून में आयोजित ऑनलाइन वैश्विक समारोह में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी के तहत पारिवारिक वानिकी के लिये उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- प्रो. ज्याणी को 17 जून, 2021 को कोस्टारिका में विश्व मरुस्थलीकरण दिवस के वैश्विक आयोजन में भूमि संरक्षण में अति विशिष्ट योगदान हेतु विजेता घोषित किया गया था।
- मई 2022 में अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट में सदस्य देशों के वैश्विक सम्मेलन में प्रो. ज्याणी को विशेष उद्बोधन हेतु आमंत्रित किया जाएगा और उन्हें यह ट्रॉफी प्रदान की जाएगी।
- गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमि संरक्षण संबंधी इकाई यूएनसीसीडी द्वारा प्रति दो वर्ष के अंतराल पर भूमि संरक्षण में अति विशिष्ट योगदान हेतु दुनिया भर से किसी एक व्यक्ति या संगठन को यह पुरस्कार दिया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र की ओर से भूमि बहाली और संरक्षण विधियों में नवाचार के लिये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन संस्थाओं, व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाता है, जो पर्यावरण और समुदायों की भलाई को बढ़ावा देते हुए उनके साथ संबंधों को बेहतर बनाते हैं। इसके तहत चीन के सैहानबा फॉरेस्ट को राष्ट्रीय श्रेणी के तहत पुरस्कार दिया गया।
- प्रो. श्यामसुंदर ज्याणी श्रीगंगानगर ज़िले की रायसिंह नगर तहसील के गाँव 12 टीके के निवासी हैं और वर्तमान में बीकानेर के राजकीय डूँगर कॉलेज में समाजशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर हैं।
- प्रोफेसर ज्याणी पिछले 20 वर्षों से गाँव-दर-गाँव लोगों, स्कूली विद्यार्थियों व शिक्षकों के बीच जाकर उन्हें पेड़ एवं पर्यावरण के बारे में समझाने और अपनी तनख्वाह से पश्चिमी राजस्थान की रेगिस्तानी भूमि में लाखों पेड़ लगवाने जैसे उत्कृष्ट कार्य करते आ रहे हैं।

नोट :